(31)

(188)

निग0 5291/2018/रीवा/भू.रा0

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा

(म0 प्र0)

विलोपित/विलोपित/विलोपित/विलोपित

रामनाथ सेन पिता स्व0 श्री नर्बदा प्रसाद सेन उम्र 80 वर्ष पेशा – कृषि निवासी ग्राम बडखरा तहसील मउगंज जिला रीवा म 0प्र0—— निगरानीकर्ता

बनाम

शासन म0प्र 0 —————————— गैरनिगरानीकर्ता

अधि0 श्री आदित्य सिंह द्वारा पेश/30-8-18

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षकवृत्त सीतापुर तहसील मउगंज जिला रीवा म0 प्र0 द्वारा पारित सीमांकन प्रकरणकमांक51अ12/2016/ 2017 मे सीमांकन पुष्टि आदेश दि 0 10/ 10/ 2017

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0 प्र0 भू0रा0 सं0 सन् 1959 ई 0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1:– यह कि राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षक मण्डल सीतापुर तहसील मउगंज जिला रीवा म0 प्र 0 द्वारा पारित सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 10/10/ 2017 विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

2:– यह कि निगरानीकर्ता द्वारा अपने स्वत्व व अधिपत्य की भूमि खसरा कमांक 35 रकवा 0.162 हे 0 खसरा कमांक 36 रकवा 0. 773 हे 0 स्थित

(81)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.5291/2018 रीवा/भू–रा0 जिला–रीवा

रामनाथ सेन/म0प्र0 शासन

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आदित्य सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त सीतापुर, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 51/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	